न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 207/2016/75 एलआर एक्ट

1. रामलाल पुत्र भीराज जाति जाट निवासी श्योदानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. श्रीमति पातोदेवी पत्नि हरदयाल जाति जाट निवासी श्योदानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
3. देवीलाल पुत्र हरदयाल जाति जाट निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
4. साहबराम पुत्र हरदयाल जाति जाट निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

––अपीलांटस

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

––असल रेस्पो0

2. ओमप्रकाश पुत्र हरदयाल जाति जाट निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. बृजलाल पुत्र हरदयाल जाति जाट निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
4. राजेन्द्र उर्फ राजाराम हरदयाल जाति जाट निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

–– तरतीबी रेस्पो0

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 28.10.2015 न्यायालय अपर जिला कलैक्टर हनुमानगढ़
प्र0सं0 06/2012 अनवानी स्टेट बनाम रामलाल आदि

उपस्थित :–
श्री रामस्वरूप नांदेवाल अधिवक्ता अपीलांटस
श्री बहादूरराम स्वामी अधिवक्ता रेस्पोडें सं. 2 ता 4
श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1

निर्णय दिनांकः–05.04.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि अपर जिला कलैक्टर (जागीर) श्रीगंगानगर के न्यायालय द्वारा तहसीलदार टिब्बी की रिपोर्ट दिनांक 04.09.85 के आधार पर कार्यवाही करते हुए अपीलांटस के पूर्वज मृतक भीराज पुत्र सरदारा के नाम से इस आशय का नोटिस जारी किया गया कि भीराज पुत्र सरदारा के धारण मे खसरा नं. 188/2 की 15.4 बीघा व खसरा नं. 233 की 4.12 बीघा कुल 19.16 बीघा भूमि गैर दाखिलकारी की बिना आवंटन करवाये भू–प्रबन्धक विभाग से गलत तरीके से खातेदारी प्राप्त कर ली है, गैर दाखिलकारी की भूमि नियमानुसार समयावधि मे आवंटन न करवाये जाने के आधार पर नोटिस जारी किया गया। अपीलांट ने दिनांक 14.04.2000 को पुनः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके उक्त भूमि आवंटन करवाने का निवेदन किया। इससे पूर्व 1964 मे अन्य भूमि के साथ उक्त भूमि को आवंटन करवाने के लिये आवेदन किया जिसमे समस्त भूमि 80.03 बीघा मे से 64.04 बीघा भूमि आवंटित की गई, शेष 19.16 बीघा भूमि इस नोट के साथ आवंटन नही की गई कि उक्त भूमि वर्तमान मे आउट ऑफ जॉन होने के कारण बाद मे आवंटन नियम आने के बाद आवंटन कर दी

जावेगी। बाद मे हनुमानगढ़ नया जिला बनने के पश्चात उक्त प्रकरण अपर जिला कलैक्टर हनुमानगढ़ के न्यायालय मे स्थानान्तरित होकर प्राप्त होने पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 31.03.2003 के द्वारा अपीलांटस की उक्त 19.16 बीघा भूमि को बहक सरकार रिज्यूम करने के आदेश पारित किये जिसके विरूद्ध अपीलांटस द्वारा अपील अन्तर्गत धारा 75 एलआर एक्ट अपील सं. 69/2003 रामलाल आदि बनाम राजस्थान स्टेट प्रस्तुत की जिसका निर्णय दिनांक 16.10.2010 को किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 31.03.2003 अपास्त किया जाकर उक्त 19.16 बीघा भूमि अपीलांटस को राजस्थान उपनिवेशन (पैतालीसा क्षेत्र मे गैर–दाखिलकार अभिधारियों को सरकारी भूमि, भूमि का आवंटन) शर्ते 1970 की शर्त सं. 9 के तहत 350/–रू0 प्रतिबीघा की दर से कीमतन आवंटन की गई।

2. न्यायालय के निर्णय दिनांक 16.10.2003 के विरूद्ध रेस्पो0 की ओर से माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष एक अपील/एलआर/3326/2004/हनुमानगढ़ बअनवान राजस्थान सरकार बनाम रामलाल आदि प्रस्तुत की गई जिसका निर्णय दिनांक 28.02.2012 को पारित किया जाकर न्यायालय के निर्णय दिनांक 16.10.2003 को अपास्त करते हुए पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की गई कि इस प्रकरण मे दोनो पक्षो को सुनवाई का अवसर देकर 1970 की आवंटन शर्तो के प्रकाश मे इस प्रकरण का परीक्षण कर नये सिरे से निर्णय पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय को पत्रावली प्राप्त होने पर अपीलांटस अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित आये तथा एक प्रार्थना पत्र मय प्रारूप राजस्थान उपनिवेशन (पैतालीसा क्षेत्र मे गैर–दाखिलकार अभिधारियों को सरकारी भूमि, भूमि का आवंटन) शर्ते 1970 के तहत उक्त भूमि के आवंटन हेतु प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय ने दोनो पक्षो की बहस सुनने के पश्चात दिनांक 28.10.2015 को अपना अपीलाधीन निर्णय पारित कर अपीलांटस की उक्त खसरा नं. 128/2 की 15.14 बीघा व खसरा नं. 233 की 4.12 बीघा कुल 19.16 बीघा भूमि रकबाराज घोषित की गई, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

3. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस मे कथन किया कि अपीलांटस के पूर्वज भीराज पुत्र सरदारा के नाम से ग्राम श्योदानपुरा तहसील हनुमानगढ़ वर्तमान तहसील टिब्बी के खसरा नं. 188 की 80 बीघा 3 बिस्वा एवं खसरा नं. 233 की 4 बीघा 12 बिस्वा कुल 84.15 बीघा भूमि 1955 से पूर्व की गैरदाखिल की भूमि थी। अपीलांटस के पूर्वज भीराज की मृत्यु के पश्चात उक्त समस्त भूमि अपीलांटस के नाम से बतौर वारिसान राजस्व रिकार्ड मे दर्ज की गई। सन् 1964 मे उक्त 84.15 बीघा भूमि को

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

नियमानुसार सक्षम अधिकारी के समक्ष आवंटन करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त आवंटन आवेदन पत्र प्रस्तुत पर दिनांक 16.07.1964 को 64.04 बीघा भूमि नियमानुसार आवंटन की गई। शेष उपरोक्त वादग्रस्त भूमि 19.16 बीघा इस नोट के साथ आवंटन नही की गई कि उक्त भूमि वर्तमान मे आउट ऑफ जॉन होने के कारण आवंटन नही की जा रही है। इस संबंध मे आवंटन नियम आने के बाद आवंटन कर दी जावेगी। अपीलांटस के पूर्वज द्वारा उक्त भूमि को आवंटन करवाने के लिये विधिवत रूप से सन् 1964 मे ही बिना नोटिस दिये आवेदन कर दिया था लेकिन सक्षम अधिकारी द्वारा आउट ऑफ जॉन होने के कारण आवंटन नही की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस के पूर्वज मृतक भीराज को तहसीलदार टिब्बी की रिपोर्ट दिनांक 04.09.1985 के आधार पर नोटिस देने के उपरांत अपीलांट को दिनांक 05.11.97 को बतौर वारिसान रिकार्ड पर लिया गया जिसके पश्चात अपीलांटस ने दिनांक 24.04.2000 को पुनः अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बिना नोटिस नियमानुसार उक्त 19.16 बीघा भूमि राजस्थान उपनिवेशन (पैतालीसा क्षेत्र मे गैर–दाखिलकार अभिधारियों को सरकारी भूमि, भूमि का आवंटन) शर्ते 1970 के अनुसार आवंटन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार टिब्बी से उक्त भूमि के संबंध मे रिपोर्ट एवं प्रश्नोतरी मंगवाई गई। तहसीलदार द्वारा दिनांक 27.06.02 को उक्त भूमि के संबंध मे रिपोर्ट एवं प्रश्नोतरी प्रस्तुत की जिसमे दस्तावेज जमाबंदी सम्वत 2012 से 2015, गिरदावरी सम्वत 2015 व प्रश्नोतरी बिनावर रिपोर्ट सन् 2011 से 2016 एवं सम्वत 2036 से 2052 मे उक्त भूमि अपीलांटस के पूर्वज भीराज व अपीलांटस के कब्जा काश्त मे लगातार होना बताया। इसके पश्चात माननी

5. राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा उक्त प्रकरा की पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड होने पर इस प्रकरण मे दोनो पक्षो को सुनवाई का अपसअतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय को अपास्त किया जावें।

6. राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 ने बहस मे कथन किया कि भूकरका के खसरा नं. 319 की 4.047 व खसरा नं. 444 की 4.284 है0 कुल 8.334 है0 भूकरका से गुजरने वाली पक्की सड़क के दक्षिणी तरफ है, राजकीय अधिसूचना के अनुसार नोहर के मास्टर प्लान एवं नगरीय क्षेत्र की पैराफेरी क्षेत्र के अन्तर्गत आता है जिसके खातदारी अधिकार राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 18.01.2010 के अनुसार राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन बिना नही दिये जा सकते है एवं जिला स्तरीय कमेटी के द्वारा निर्धारित बाजार मूल्य के 10 प्रतिशत संदाय करने पर ही खातेदारी दिये जा सकते है। इसी आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा पूर्व मे जारी सनद सं. 1527 दिनांक 07.11.12 दी गई खातेदारी हक का प्रत्याहरण कर राजस्थान कोलोनाईजेशन के नियम 1955 के

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

धारा 10 के तहत पुनः गैर खातेदारी अंकित किये जाने के आदेश पारित किये है। जो सही है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य होने के कारण अपील खारिज की जावें।

7. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन करने के उपरांत निष्कर्ष है कि रेस्पो0 सं. 1 राज्य पक्ष की ओर से तहसीलदार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्र क्रमांक भू–अ0/2013/1324 दिनांक 31.05.13 के द्वारा इस आशय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया कि मौका नक्शा देखने पर पाया गया कि ग्राम भूकरका के खसरा नं. 319 की 4.047 व खसरा नं. 444 की 4.284 है0 कुल 8.334 है0 भूकरका से गुजरने वाली पक्की सड़क नोहर–रावतसर से दक्षिणी दिशा मे स्थित है, राजकीय अधिसूचना के अनुसार नोहर रावतसर सड़क के दक्षिणी भाग मे स्थित भूमि नगरपालिका नोहर के मास्टर प्लान एवं नगरीय क्षेत्र की पैराफेरी क्षेत्र के अन्तर्गत आती है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 18.01.2010 के अनुसार नगरपालिका क्षेत्र के मास्टर प्लान एवं पैराफेरी क्षेत्र मे आने वाली भूमियों के खातदेारी अधिकार राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन बिना नही दिये जा सकते है एवं जिला स्तरीय कमेटी के द्वारा निर्धारित बाजार मूल्य के 10 प्रतिशत संदाय करने पर ही खातेदारी दिये जाने का प्रावधान है। इसी आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा पूर्व मे जारी सनद सं. 1527 दिनांक 07.11.12 दी गई खातेदारी हक का प्रत्याहरण कर राजस्थान कोलोनाईजेशन के नियम 1955 के धारा 10 के तहत पुनः गैर खातेदारी अंकित किये जाने के आदेश पारित किये है। जबकि नगरपालिका नोहर के पत्रांक भूमि/2013–14/514 दिनांक 29.05.2013 के अनुसार ग्राम भूकरका के खसरा नं. 319, 442, 443 और 444 का रकबा नगरपालिका मास्टर प्लान 2031 की सीमा मे स्थित नही है तथा अपीलांट के कथनानुसार अपीलाधीन आदेश उक्त रिपोर्ट के बिना अवलोकन किये तथा बिना प्रभावित पक्षकार को सुने एक मृत व्यक्ति के विरूद्ध पारित किया गया है। अपीलाधीन निर्णय बिना प्रभावित पक्षकार को सुने एवं बिना दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किये अपीलांट के हक पूर्व मे जारी सनद सं. 1527 दिनांक 07.11.12 दी गई खातेदारी हक का प्रत्याहरण कर राजस्थान कोलोनाईजेशन के नियम 1955 के धारा 10 के तहत पुनः गैर खातेदारी अंकित किये जाने के आदेश पारित किये है जिसकी पुष्टि की जाकर यथावत रखा जाना न्यायसंगत नही होने के कारण अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

8. अतः अपील अपीलांट स्वीकार योग्य होने के कारण अपील आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10.06.2017 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण मे अपीलांटस को बतौर पक्षकार के रूप मे संयोजित करते हुए उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर नियमानुसार राशि जमा करवा कर खातेदारी अधिकार दिये जाने संबंधी कार्यवाही करते हुए पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 16.04.2018 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 15.03.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर..ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official